तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.7.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से ... अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्राव... ...ंक 20.7.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
20.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित, वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुना० पृ० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मां[illegible] जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या – 53/21 प्रा०पत्र

1– सोनु पि० श्री कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी- बावड़ी तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री उदयलाल S/o श्री छोगा शर्मा निवासी- बावड़ी तहसील- माण्डल (कॉपी)
(पृष्ठांकित प्रा-पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक –

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......बावड़ी......पटवार हल्का......बावड़ी......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1512/252......कुल किता......01......रकबा......0.5059 हेक्टेयर ~~बीघा~~......–......~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनाक 25-03-21 को पजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए [illegible] की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......बावड़ी पटवार हल्का......बावड़ी......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1512/252 ......कुल किता......01......रकबा......0.5059 हेक्टेयर ......~~बिस्वा~~ भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु [illegible] को......400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् [illegible] स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की [illegible] पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा